नारी शक्ति वंदन अधिनियम

'यह अधिनियम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जानेवाली शक्ति के रूप में उभरेगा'

प्रस्तावनाः श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

भाजपा प्रकाशन विभाग

श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

मैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लाकर, महिला आरक्षण का जो विषय बहुत लंबे अंतराल से चल रहा था, उसे एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। जहां मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं, वहीं नारी के सशक्तीकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, पिछले नौ साल में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत की नारी की दशा को सुधारने और उसकी दशा एवं दिशा समाज में मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं।

21 सितंबर, 2023

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

‘यह अधिनियम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जानेवाली शक्ति के रूप में उभरेगा’

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रकाशकीय

नए संसद भवन के शुभारंभ के साथ ही 'नारी शक्ति अधिनियम, 2023' के पारित होने से संसद का 'विशेष-सत्र' और भी अधिक विशिष्ट बन गया। दशकों से जिस ऐतिहासिक क्षण के लिए देश प्रतीक्षारत था, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के कारण, वह क्षण आ गया। देश में 'नारी-शक्ति' को उनका अधिकार देने, उनकी गरिमा सुनिश्चित करने, उनकी भागीदारी बढ़ाने एवं देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की गति को तीव्र करने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है।

ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के माध्यम से आज महिलाओं की देश की लोकसभा एवं विधानसभा में भी 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की न केवल भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि इससे देश की राजनीति तथा सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन होगा। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में दिये गये भाषणों में से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले केन्द्रीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के भाषण हम इस पुस्तिका में प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संसद में दिये गये वक्तव्य का भी प्रकाशन हम कर रहे हैं। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस पुस्तिका की 'प्रस्तावना' लिखने के हमारे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया है, हम उनके हृदय से आभारी हैं। आशा है हमारे सुधी पाठक इस पुस्तिका का गहराई से अध्ययन करेंगे और इस अधिनियम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से अवगत हो सकेंगे।

प्रकाशक

भाजपा प्रकाशन विभाग

मार्च, 2024

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रस्तावना

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' देश में एक नए युग की शुरुआत है। इस अधिनियम में लोकसभा, विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अमृतकाल में यह भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा को बदलने वाला अधिनियम है। ध्यान देने योग्य है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का निर्णय पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय तक, कभी कुछ राजनैतिक दलों के विरोध या किसी और बहाने से लटका रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति और अटूट संकल्प का ही परिणाम है कि यह अधिनियम लोकसभा में 454-2 के भारी बहुमत एवं राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

यह अधिनियम वास्तव में देश की नारी-शक्ति का वंदन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में उनकी क्षमता के योगदान का आह्वान है तथा समानता, समावेशिता एवं संपूर्णता का उद्घोष है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 'अमृतकाल' में इस महत्वपूर्ण कदम से 'विकसित भारत' का हमारा संकल्प और भी अधिक सुदृढ़ हुआ है।

पिछले दस वर्षों में 'नारी-शक्ति' को आगे लाकर देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित करने को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी संकल्पबद्ध रहे हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश की 'नारी-शक्ति' का केवल सशक्तीकरण ही नहीं बल्कि 'women-Led-Development' की ओर देश बढ़ा है। देश की महिलाओं का जीवन आसान कर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक संपन्नता एवं सामाजिक कुरीतियों से उन्हें निकाल कर विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें नेतृत्व देने के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं से अब पूरे देश की तस्वीर बदल रही है। जहां 'तीन-तलाक' पर कड़े कानून बने, वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कड़ी सजा का कानूनी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के कारण देश के लिंग-अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा उच्च-माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। आईआईटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में भी बालिकाओं का नामांकन 8%

से बढ़कर 20% हुआ है। जहां मातृ-मृत्यु दर में 25% से भी अधिक कमी आई है, वहीं स्वास्थ्य-योजनाओं एवं बीमा कवरेज में 15-49 वर्ष की महिलाओं की 46% तक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत योजना से महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक योजनाओं का लाभ सीधा उन तक पहुंचाया गया है। चाहे जन-धन बैंक खातों की बात हो, मुद्रा योजना की बात हों, स्टैण्ड-अप योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना— देश की नारी-शक्ति और भी अधिक सुदृढ़ हो रही है वहीं, ड्रोन-दीदी एवं दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए मोदी सरकार कृतसंकल्पित है।

'नारी-शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' देश की उसी उज्ज्वल परंपरा को आगे बढ़ाती है जिसमें वैदिक काल से ही गार्गी, लोपमुद्रा, मैत्रेयी जैसी ऋषिकाएं वेदों की ऋचाओं की द्रष्टा रही। शक्ति-स्वरूपा देवी की आराधना करने वाली हमारी संस्कृति में मां सीता, कुंती, गांधारी एवं द्रौपदी का अनुपम स्थान है। शासन-प्रशासन में रानी प्रभावती गुप्त, रानी पद्मिनी, रानी दुर्गावती, रानी रूद्रम्मादेवी, रानी अहिल्याबाई ने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सेना के सभी अंगों, शासन-प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र से लेकर खेलकूद की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं उद्यमशीलता— हर क्षेत्र में 'नारीशक्ति' अपने झंडे गाड़ रही है। देश की 'नारी शक्ति' को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि वे अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश के लिए मेडल तो जीत ही रही हैं, साथ ही, वे भारत के तिरंगे को चंद्रमा तक पर फहराने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि भाजपा प्रकाशन विभाग की ओर से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर यह पुस्तिका प्रकाशित हो रही है। इसमें प्रस्तुत चुने हुए भाषणों से इस अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य एवं महत्व तथा समाज पर इसके दूरगामी परिणाम से पाठक अवगत होंगे। इस कार्य के लिए मैं प्रकाशन-टोली को बधाई देता हूं।

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

मार्च, 2024

अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय

प्रस्तावना

यह अधिनियम देश को नई ऊंचाइयों पर ले
जानेवाली शक्ति के रूप में उभरेगाः नरेन्द्र मोदी 08

हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में
सशक्तीकरण करना हैः जगत प्रकाश नड्डा 09

इस विधेयक से महिलानीत विकास के नये युग का
शुभारंभ होने जा रहा हैः अमित शाह 15

भाजपा, महिला आरक्षण के लिए हमेशा
समर्थन में रही हैः निर्मला सीतारमण 26

महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक
क्रांतिकारी कदम हैः अर्जुन राम मेघवाल 35

लोकसभा

यह अधिनियम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जानेवाली शक्ति के रूप में उभरेगा: नरेन्द्र मोदी

नए संसद भवन के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए 21 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पारित होने को भारतीय संसद के इतिहास में एक 'सुनहरा क्षण' बताया और इसकी सफलता का श्रेय सभी सांसदों को दिया:

कल भारत की संसदीय यात्रा का एक ऐतिहासिक पल था। इस ऐतिहासिक पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दलों के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हों या सदन के बाहर हों, वे भी उतने ही हकदार हैं। इसलिए, मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्त्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृभूमि में एक नई ऊर्जा भरने में कल का यह निर्णय और आज राज्य सभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृभूमि का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अद्वितीय शक्ति के रूप में उभरेगा, यह मैं अनुभव करता हूं।

इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका, पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं

इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका, पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

❑❑❑

हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तीकरण करना है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का 21 सितंबर, 2023 को राज्यसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर वक्तव्य

आज मैं 'संविधान (एक सौ अठाइसवां संशोधन) विधेयक, 2023' के समर्थन में अपना विचार रखने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश उत्सव के दिन से हुई और कल लोक सभा में यह 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' निर्विघ्न पास हुआ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज यहां राज्य सभा में भी यह 'संविधान (एक सौ अठाइसवां संशोधन) विधेयक, 2023' किसी भी बाधा के बिना, किसी भी विघ्न के बिना सर्वसम्मति से पास होगा और इसमें सबकी सहमति मिलेगी।

> मोदी जी ने भारत की नारी की दशा को सुधारने और उसकी दशा एवं दिशा समाज में मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं

मैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लाकर, महिला आरक्षण का जो विषय बहुत लंबे अंतराल से चल रहा था, उसे एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। जहां मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं, वहीं नारी के सशक्तीकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, पिछले नौ साल में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत की नारी की दशा को सुधारने और उसकी दशा एवं दिशा समाज में मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। उनके उन्हीं कदमों में से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तीकरण होगा और नारी की ताकत बढ़ेगी। शिक्षा के बारे में कई लोगों का अपना-अपना विचार हो सकता है, लेकिन 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' की शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और समाज में महिलाओं को

देखने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है और दिशा देती है।

भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गयी हैं। वह धारणा यह बनी है कि हम महिलाओं के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कुछ किया, तो जैसे हम कुछ oblige कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यह हमारा और आपका नहीं है, हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में स्थापित किया, वह यह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्ज्वल रहा है। इसलिए वे 'पिछड़ी' हैं, वे 'असहाय' हैं, वे 'अबला नारी' हैं— यह शब्दावली हमारी नहीं रही है। हमने नारी को 'शक्ति' के रूप में देखा, 'देवी' के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाला देखा। इसलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं - 'women empowerment', तो वे हमेशा 'women-led development' की बात करते हैं। उन्होंने जी20 में भी दुनिया को बताया that it is not only women empowerment but women-led development. भारत की इस सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी20 के माध्यम से भी किया है।

> हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्ज्वल रहा है। इसलिए वे 'पिछड़ी' हैं, वे 'असहाय' हैं, वे 'अबला नारी' हैं— यह शब्दावली हमारी नहीं रही है

मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, तो भारतीय संस्कृति में अगर हम नारी का स्थान देखे, तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा है। उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही है। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। अगर हम हड़प्पा काल की भी बात करें, तो जो कांस्य की मूर्ति 'dancing girl' है, वह यह बताती

है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वच्छंदता थी और कितना independence था— यह भी वह दर्शाती है। यह दीगर बात है कि जब हम गुलामी के काल से गुजरे, medieval period से गुजरे, तो उस समय पितृसत्तात्मक व्यवस्था से लेकर, महिलाओं का कुछ जो उत्थान का स्थान था, उसमें कमी आयी, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे हमेशा 'ऊर्जा' का स्थान दिया गया, 'देवी' का स्थान दिया गया, 'शक्ति' के रूप में देखा गया। हमारे यहाँ शब्दावली भी वैसी है— 'गौरी-शंकर', 'गिरिजा-शंकर', 'भवानी-शंकर', 'सीता-राम', 'राधे-कृष्ण।' अब हमें दुनिया समझाए— ladies first— यह हमारे साथ एक तरीके से मजाक नहीं है, तो और क्या है? इसलिए हमारी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है।

यह विधेयक, 'नारी शिक्षा वंदन विधेयक', यह बताता है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, यह सब महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

वैदिक काल में भी हमारे यहां विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। वैदिक काल में भी अगर देखें, तो जब आदि शंकराचार्य जी के साथ मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो आप जानते हैं कि उसमें न्यायाधीश कौन था? उसमें न्यायाधीश मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती थी, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया था। यह विधेयक, 'नारी शक्ति वंदन विधेयक', यह बताता है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, यह सब महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह कहा गया कि राजा अगर न्यायप्रिय है, तो रानी भी न्यायप्रिय होनी चाहिए— इतनी दूर की सोच रखी गयी थी, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से चौथी शताब्दी में रानी प्रभावती गुप्त, जिन्होंने इंडियन

हिस्ट्री में सबसे पहले राज्य किया, वह बताता है कि महिलाओं का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। रानी जीजाबाई, जो मराठा रानी के रूप में जानी गईं, उनका जो मार्गदर्शन था, उनका जो निर्देशन था, उसने छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज बनाने के लिए प्रेरित किया, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्याबाई होल्कर जी को हम सब लोग जानते हैं, अध्यात्म की दुनिया में उनका नाम है। उसके साथ-साथ जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का नवीन निर्माण करवाया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 की हमारी क्रांति और उसमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व हम नहीं भूल सकते हैं। यहां हमारे संविधान सदन में इक्क्वारी की रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, संविधान सदन में सुशोभित होकर वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। पुर्तगालियों के खिलाफ कर्णाटक की महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी, तो वह भी अपने आप में एक गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है।

> चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, मिलिट्री एजुकेशन हो, सैन्य सुरक्षा हो या अर्थजगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारे भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर आयी हैं

21वीं शताब्दी: महिलाओं की शताब्दी

मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि मॉर्डन टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, तो 21वीं शताब्दी जो है, वह महिलाओं की शताब्दी है। फिर चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, मिलिट्री एजुकेशन हो, सैन्य सुरक्षा हो या अर्थजगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारे भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर आयी हैं। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और वे स्वयं को सम्मानित स्थान पर लेकर आई हैं। It is not only their presence but their position. वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, वह यह बताता है कि भारतीय नारियों ने किस तरीके से

अपना योगदान दिया है।

आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21 प्रतिशत हमारी महिलाएं ऐसी हैं, जो लीडिंग रोल में हैं। अगर आज हम इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल-परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट्स देखें, तो फिर चाहे वह मंगलयान हो, चंद्रयान हो या आदित्य एल-1 हो, इन सबमें महिला साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कहें, इस आज़ाद भारत में 16 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं का योगदान

बहुत से ऐसे देश हैं, जहां महिलाओं ने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, सिर्फ franchise पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया, लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमारे first General Election में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया, यह हमारी सोच दर्शाता है। इसमें सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें franchise मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था— 'We don't want to be nominated but we want to be elected.' इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। हमारा यह भी सौभाग्य है कि बहुत से देशों से पहले हमारे देश को महिला राष्ट्रपति भी बहुत पहले मिल गयी थीं। इसलिए इनके प्रति हमारा नज़रिया 'अबला', 'बेचारी नारी'— ऐसा कभी नहीं रहा, हमेशा हम लोगों ने एक विशेष स्थान देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया।

> हमारी Constituent Assembly में भी 15 महिलाएं थीं, जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। आज यहां पर हमारी 102 महिलाएं MP हैं

हमारी Constituent Assembly में भी 15 महिलाएं थीं, जिनका

विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। आज यहां पर हमारी 102 महिलाएं MP हैं। अपने शिक्षण के कारण they are elected, वे इलेक्ट होकर आयी हैं। यह भी हमें बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से अपना योगदान दिया है। चाहे वह पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, सबमें नारियों ने अपना योगदान दिया है।

इसलिए जब हम 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को लाकर उनका सशक्तीकरण कर रहे हैं, तो यह हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह उनका सम्मान है, यह उनका सशक्तीकरण है, यह उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहां एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा अपने आप को बढ़ावा देने का नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तीकरण करने का है।

❑❑❑

इस विधेयक से महिलानीत विकास के नये युग का शुभारंभ होने जा रहा है: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का 20 सितंबर, 2023 को लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर वक्तव्य

कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन के कार्य का पहली बार शुभारंभ हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था, महिलाओं को आरक्षण, अधिकार देने का बिल इस सदन में पारित हुआ।

मैं आपके माध्यम से इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत जिसका हिस्सा है, उस मातृशक्ति को सच्चे अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ ही महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। इसकी कल्पना जी-20 की बैठक में सम्माननीय नरेन्द्र भाई ने समूचे विश्व के सामने रखी। Women-led development की बात समूचे विश्व के सामने रखी। Women-led development के नये युग का शुभारंभ इसी विधेयक से होने जा रहा है। अब इस देश की माताएं, इस देश की मातृभूमि, इस देश की बेटियां केवल नीति-निर्धारण के क्षेत्र में अपना हिस्सा पाएंगी, बल्कि वे निर्णय-निर्धारण में भी अपना पद सुरक्षित कर पाएंगी।

> **अब इस देश की माताएं, इस देश की मातृभूमि, इस देश की बेटियां केवल नीति-निर्धारण के क्षेत्र में अपना हिस्सा पाएंगी, बल्कि वे निर्णय-निर्धारण में भी अपना पद सुरक्षित कर पाएंगी**

भाजपा के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं

कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तीकरण एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तीकरण एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता

है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तीकरण का नारा चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मातृत्व का सवाल है। यह मां-बेटी के समान अधिकारों का सवाल है।

किसी भी सिद्धांत के लिए किसी योजना या संकल्प का आकलन करना हो कि सिद्धांत के प्रति उसका महत्व कितना गहरा है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से यह नहीं बताया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे, जब वे गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा कार्यकारिणी हुई थी, उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में एक-तिहाई आरक्षण माताओं के लिए किया गया था। मैं गर्व से कह सकता हूं कि ऐसा काम करनेवाली मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी भी है।

> **मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मातृत्व का सवाल है। यह मां-बेटी के समान अधिकारों का सवाल है**

मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को ढेर सारी भेंट मिलती हैं, यादगार-से-यादगार लोग उनको तोशाखाना में रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएंगी, उनका 'ऑक्शन' होगा और उससे प्राप्त धनराशि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा। सीएम रहते हुए, देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। वर्ष 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद चुनाव हुआ और तीस साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैनडेट दिया। जब सरकार बनाने का समय आया, तब मोदी जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना औपचारिक था। इस्तीफा देने के बाद ही वे प्रधानमंत्री बन सकते थे। मुख्यमंत्री

पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया, तब उनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था, वह सारा का सारा पैसा गुजरात सचिवालय के वर्ग तीन और चार के कर्मचारियों की बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए दिया गया।

इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देश भर में दिया। गुजरात में उनके प्रयासों से, जन-जागृति के माध्यम से, किसी कानून के बिना, लिंग अनुपात में क्रांतिकारी बदलाव करके लाखों बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नरेन्द्र मोदी जी ने दिया। तपती धूप में, मई के महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक, पूरी की पूरी सरकार पांच दिनों तक गर्ल चाइल्ड इनरोलमेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई ऐसा कोना नहीं होता था, जहां सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग जाते थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके इनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप-आउट दर को कम करने के लिए और उनको पुनः दाखिला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे।

जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देश भर में दिया। गुजरात में उनके प्रयासों से, जन-जागृति के माध्यम से, किसी कानून के बिना, लिंग अनुपात में क्रांतिकारी बदलाव करके लाखों बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नरेन्द्र मोदी जी ने दिया

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का परिणाम क्या था? एक ओर तो लिंग अनुपात में क्रांतिकारी बदलाव आया और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी गुजरात में जो विरासत छोड़कर गई थी, प्राथमिक शिक्षा में 37 प्रतिशत ड्रॉप-आउट दर था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर आए, तब वह 37 प्रतिशत ड्रॉप-आउट दर घटकर 0.70 प्रतिशत हो गया।

इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारी माता का मुद्दा है, हमारे परिवार का मुद्दा है, हमारे समाज का मुद्दा है।

भाजपा सरकार का लक्ष्य: महिलाओं के लिए सुरक्षा, समानता और सहभागिता

जब नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन, यह जो महिला सशक्तीकरण की बात है, यह संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, समानता और सहभागिता, ये तीनों चीजें, जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का लक्ष्य और दिशा, दोनों बन गए हैं।

कई ऐसी चीजें हैं, जो हुई हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने शुरू की 'जनधन योजना', बैंक अकाउंट खोलने का अभियान शुरू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70 प्रतिशत बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए।

> आज कोई भी सरकारी योजना का पैसा जाता है तो वह महिला के बैंक खाते के अंदर जाता है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है जो हमारे देश की महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

आज कोई भी सरकारी योजना का पैसा जाता है तो वह महिला के बैंक खाते के अंदर जाता है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है जो हमारे देश की महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कांग्रेस ने इस देश में पांच दशक से अधिक शासन किया। लेकिन 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर वह गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। जब एक घर में शौचालय नहीं होता है, तो सबसे अधिक तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं, जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे, जिनके घर में शौचालय नहीं था।

12 करोड़ घर ऐसे थे, जहां पीने का पानी नहीं था। जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं, उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होगी? जिस घर

में पीने का पानी नहीं है, उस घर की माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ लोगों को, हर घर में मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त माह पांच किलो अनाज देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है तो बच्चे भूखे रहते हैं। चूल्हा तो नहीं जलता है, मगर मां का दिल जलता है।

लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरिनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। 'एम्पावरमेंट' क्या होता है? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलटों में महिलाओं की संख्या केवल 5 प्रतिशत है, भारत में 15 प्रतिशत है और यह 10 साल में बढ़ी है। इसको एम्पावरमेंट कहते हैं।

हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं जो महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता में सशक्त बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

> इस देश में जो भी रहता है, जिसकी जड़ भारत से जुड़ी है, वह किसी भी महिला को कमजोर मानने की गलती नहीं कर सकता है

महिलाओं की शक्ति और योगदान

इस देश में जो भी रहता है, जिसकी जड़ भारत से जुड़ी है, वह किसी भी महिला को कमजोर मानने की गलती नहीं कर सकता है। दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों प्रमुख देवियां हैं। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, सरस्वती विद्या का प्रतीक है और लक्ष्मी ऐश्वर्य तथा वैभव का प्रतीक है। इन तीनों देवियों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां को ही अपनाया है, किसी और को अपनाया नहीं है। लेकिन जो लोग भारत से जुड़े नहीं हैं, उन्हें महिलाओं की शक्ति और योगदान का एहसास नहीं होता है।

हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक विकास और हजारों वर्षों के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी नई-नई विधाएं और ज्ञान के नए-नए आयाम हैं।

कहिए वेदों की ऋचाएं, कहिए उपनिषदों के मंत्रों, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के 422 मंत्रों में महिलाओं का सम्मान करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वाली महिलाओं में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वबरा, लोपामुद्रा, ये सभी वेदों को संवेदना से परिपूर्ण करके समस्त चराचर की चिंता करने वाली माताएं हैं।

कहा जाता है कि अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शासन की बात करते हुए दसवीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दीद्दा, काकतीय वंश की रुद्रमादेवी, 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गादेवी, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अहिल्याबाई और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता है।

शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हम जो विधेयक लेकर आए हैं, इस भाव से लेकर नहीं आए हैं। एक विकृत समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में एक विकृति है, इस विकृति को सुधारने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनका सम्मान करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लेकर आज हम यहां आए हैं।

शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान दिया

वूमेन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत

जहां तक ढेर सारे लोगों ने अलग-अलग प्रकार की बातें की हैं, मैं आज यहां कुछ चीजों का जवाब भी देना चाहूंगा। मैं इससे पहले स्पष्ट कर देता हूं कि कोई इस जवाब को दिल से न लगा ले। मैं किसी भी दल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं। बहुत मौके आएंगे, जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दम-खम के साथ देंगे, डट कर देंगे। परंतु यह ऐसा मौका है जिसमें इस सदन को, समस्त देश को, समस्त देश को ही नहीं, समस्त विश्व को यह संदेश देने की

जरूरत है कि मोदी जी ने जिसका संकल्प लिया है, यह वूमेन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत है।

कुछ चीजें यहां कही गईं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाए।

यह जो प्रयास है, यह पांचवां प्रयास है। यह महिला आरक्षण विधेयक पहली बार नहीं आया है, यह संविधान संशोधन पहली बार नहीं आया है। फिर उन चार संविधान संशोधनों का क्या हुआ और क्यों आज मोदी जी को इसे लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में दो बार अटल जी ने किया, चार बार प्रयास हुए, पर यह क्यों नहीं हुआ? इसके क्या कारण थे, किसके कारण यह पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी या कुछ लोगों ने इस प्रकार का काम किया कि यह आगे हो ही न पाए, यह मैं जरूर बताऊंगा।

यह महिला आरक्षण विधेयक पहली बार नहीं आया है, यह संविधान संशोधन पहली बार नहीं आया है। फिर उन चार संविधान संशोधनों का क्या हुआ और क्यों आज मोदी जी को इसे लेकर आना पड़ा?

सबसे पहले यह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर, 1996 में देवगौड़ा जी के समय में आया। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी के खाते में डालना है तो डाल दीजिए। आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने-आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु, जो सच्चाई है, उसे मैं देश की करोड़ों माताओं-बहनों को बताना चाहूंगा। इस विधेयक को सबसे पहली बार, जब एच.डी. देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तब लेकर आए।

विधेयक को सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया। संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर, 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से वह विधेयक कभी इस सदन तक पहुंच नहीं पाया। यह आया ही नहीं। क्या हुआ, यह मालूम नहीं। जब ग्यारहवीं लोक सभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद-107 के तहत इस विधेयक को 'लैप्स' माना गया और विधेयक वहां चला गया।

फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने। 14 दिसंबर, 1998 को 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया और यह विधेयक बारहवीं लोक सभा के विघटन के साथ-साथ समाप्त हो गया। कुछ आरोप भी हुए थे। इस सदन में उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। आडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिया गया। दुर्भाग्य से, 1996 में लाया गया महिला आरक्षण विधेयक कभी इस सदन तक पहुंच नहीं पाया। यह विधेयक गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति को भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट सदन में कभी पेश नहीं की गई। यह निराशाजनक है।

1998 में, अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नया महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। यह विधेयक भी बारहवीं लोक सभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।

आज, 2024 में, हम एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक पर विचार कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह विधेयक सफल हो और महिलाओं को सशक्त बनाए।

मैं आज पक्ष-विपक्ष के सभी दलों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर एक नई शुरुआत को आज साक्षात्कार देकर संविधान को संशोधित करके मातृभूमि को आरक्षण देने का काम करें

यह विधेयक 4 बार आया और चारों बार ही पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृभूमि को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष-विपक्ष के सभी दलों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर एक नई शुरुआत को आज साक्षात्कार देकर संविधान को संशोधित करके मातृभूमि को आरक्षण देने का काम करें।

मैं कोई राजनीतिक उठा-पटक का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कई सारे सवाल उठाए गए। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए गए कि तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते, परिसीमन आयोग क्यों और वर्ष 2026 क्यों? मैं सारी बातों का एक-एक करके जवाब देना चाहता हूं।

यह कहना कि 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं और 60 साल का हिसाब नहीं देते हैं, थोड़ा अस्पष्ट है। बेहतर होगा यदि आप यह स्पष्ट करें कि आप किस

विषय में हिसाब मांग रहे हैं। यह भी कहना कि "देश की जनता देख रही है" थोड़ा अधिक लगता है। आप इसे ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं यदि आप कुछ ठोस उदाहरण दें कि जनता कैसे इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रही है।

यह विधेयक 4 बार आया और चार बार ही पारित नहीं हो पाया, यह निश्चित रूप से निराशाजनक है। आप इस बात पर ज़ोर दे सकते हैं कि यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है और इसे पारित करने में देरी क्यों हो रही है।

आज मैं सदन के सभी दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर एक नई शुरुआत करें। हम संविधान में संशोधन करके मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम करें।

संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है, वह अनुच्छेद-330 में है और इसी तरह से विधान सभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है, वह अनुच्छेद-332 में है। ये दोनों आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं।

संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है, वह अनुच्छेद-330 में है और इसी तरह से विधान सभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है, वह अनुच्छेद-332 में है

परिसीमन आयोग से निर्धारण

अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि ओबीसी क्यों नहीं? परिसीमन का आयोग क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं? मैं सभी सवालों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब यह है कि अभी जो वर्तमान संविधान है, उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक, सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जिसमें हमारे ओबीसी भाई-बहन भी होते हैं। दूसरा, एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा, एसटी कैटेगरी से आते हैं।

अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध हैं। इन तीनों कैटेगरी में हमने 33 प्रतिशत आरक्षण माताओं का कर दिया है।अब सवाल उठता है कि ओबीसी के लिए आरक्षण क्यों नहीं? इसका जवाब यह है कि अभी ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ओबीसी के लिए आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया है। यह समिति ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवहार्यता और संभावनाओं पर विचार करेगी। समिति की

रिपोर्ट आने के बाद सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेगी। जहां तक परिसीमन आयोग का सवाल है, परिसीमन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है। पिछला परिसीमन आयोग 2002 में गठित हुआ था। अगला परिसीमन आयोग 2022 में गठित होगा। परिसीमन आयोग का गठन होने के बाद ही आरक्षण की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। इसलिए, अभी आरक्षण की सीटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जल्द से जल्द महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित करे। यह विधेयक महिलाओं के सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा।

जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि परिसीमन आयोग क्यों बनाया, प्रावधान क्यों रखा और वर्ष 2026 क्यों? मैं अब इस पर ही आता हूं। अभी जो संविधान संशोधन आया है, इसमें अनुच्छेद-330ए और अनुच्छेद 332ए के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। इसी के साथ-साथ तीनों कैटेगरी— सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्तमान आरक्षण देकर एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम यह संविधान संशोधन करेगा।

सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया है। यह समिति ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवहार्यता और संभावनाओं पर विचार करेगी

अब पहले हम परिसीमन आयोग को समझ लेते हैं। परिसीमन आयोग हमारे देश की चुनाव क्षेत्रों को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वह नियुक्ति से होती है, मगर वह 'अर्ध-न्यायिक निर्णय' होती है। इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होती है। इसके अंदर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि भी होते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके कानून के तहत सभी माननीय राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं।

अब एक तिहाई सीटों का आरक्षण करना है तो उन सीटों के बारे में कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर देते हैं। कौन करेगा? क्या हम इसे कर और फिर अगर वायनाड आरक्षित हो गया तो आप क्या करेंगे? हमको कहेंगे कि राजनीतिक रूप से कर दिया है। ओवैसी साहब यहां पर नहीं हैं। अगर हैदराबाद आरक्षित हो गया तो वे कहेंगे कि राजनीतिक आरक्षण कर दिया। इसलिए, यह बहुत अच्छा है कि परिसीमन आयोग जो 'अर्ध-न्यायिक निर्णय' से चलता है। हर राज्य और क्षेत्र में जाकर, ओपन सुनवाई देकर, पारदर्शी तरीके से इसका निर्धारण करता है। उस परिसीमन आयोग से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है, कोई पक्ष-पात नहीं होना चाहिए।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। हालांकि, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सबको सुना है, सबने समर्थन करने के लिए अपने भाषणों के अंदर वादा किया है। लेकिन, सोशल मीडिया में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इस विधेयक का इसलिए समर्थन नहीं किया जाए क्योंकि इसमें परिसीमन आयोग का विषय है और अभी के चुनाव में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं है, इसलिए समर्थन मत कीजिए, लेकिन मैं इससे अलग कहता हूं। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी आ जाएगा? तब भी वह वर्ष 2029 के बाद आएगा। समर्थन कर दीजिए, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी, उसमें जो बदलाव करेंगे, वह भी होगा। आप एक बार श्री 'गणेश' तो कीजिए, क्यों कि गणेश चतुर्थी के दिन यह संविधान संशोधन विधेयक आया है।

परिसीमन आयोग हमारे देश की चुनाव क्षेत्रों को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वह नियुक्ति से होती है, मगर वह 'अर्ध-न्यायिक निर्णय' होती है। इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होती है

❑❑❑

भाजपा, महिला आरक्षण के लिए हमेशा समर्थन में रही है: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का 21 सितंबर, 2023 को राज्यसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर वक्तव्य

मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में हूं और इसके पक्ष में अपनी बात रख रही हूं, जिसकी आपने मुझे अनुमति दी है। यह प्रस्तावित 128वां संशोधन विधेयक वास्तव में बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है, इसे तैयार करते समय यह ध्यान दिया गया है कि हम अपनी विकास प्रक्रिया के बहुत महत्वपूर्ण चरण में हैं। हमने सफलता देखी है और मैं निश्चित रूप से उस समय पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए श्री पी.वी. नरसिम्हा रावजी की सरकार को श्रेय देना चाहती हूं। इसके परिणामस्वरूप, हमने पंचायतों में जमीनी स्तर पर देखा है, जहां आज कई राज्यों द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत भी कर दिया गया है। लगभग 20 राज्य पहले ही 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुके हैं और पंचायत स्तर पर महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि, इसकी शुरुआत 33 प्रतिशत से हुई थी जो अब 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसे लेकर कोई पछतावे वाली बात नहीं है और वास्तव में लोग खुश हैं कि यह वास्तविक भागीदारी प्रक्रिया है जो जमीन पर दिखाई दे रही है।

> **यह प्रस्तावित 128वां संशोधन विधेयक वास्तव में बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है, इसे तैयार करते समय यह ध्यान दिया गया है कि हम अपनी विकास प्रक्रिया के बहुत महत्वपूर्ण चरण में हैं**

इस संदर्भ में, मुझे सबसे शुरुआती निर्णय याद आते हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 50 प्रतिशत महिला आरक्षण को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया था। जो सदस्य सुबह से कह रहे हैं कि हमें विधेयक लाने में नौ साल क्यों लग गए। मैं जवाब देना चाहूंगी और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आम सहमति बनाएं और यह भी दिखाएं कि हम

महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

विधेयक की विशेषताएं

वास्तव में, यह विधेयक लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो, ये इस विधेयक की दो मुख्य विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य एक नया अनुच्छेद 330ए लाना है जिससे लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी। दूसरा, इसमें एक नया अनुच्छेद 332ए भी है जो राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव करता है। एक अन्य अनुच्छेद, जो मौजूद अनुच्छेद 239ए ए है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है। तो ये तीनों प्रस्ताव पास हो रहे हैं। इसका यह भी इरादा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा।

> वास्तव में, यह विधेयक लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है

इसलिए, इन सबके अलावा, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के लिए भी संबंधित अधिनियमों में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिस पर फिर से पिछले वक्ता ने अपने कानूनी कौशल के साथ अधिक विस्तार से बताया है कि इसे वास्तव में कैसे लागू किया जाएगा, मैं इस पर एक मिनट का समय लूंगी। जहां तक महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण के कार्यान्वयन का सवाल है, संविधान में एक नया अनुच्छेद 334ए जोड़ा जाएगा। इसका इरादा है कि विधेयक के अधिनियमित होने के बाद और विधेयक के लागू होने के बाद और उसके बाद जब भी पहली जनगणना होगी और उस जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे, तो लोकसभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए सीटों के परिसीमन के उद्देश्य से एक नया परिसीमन की प्रक्रिया की जाएगा।

अब, परिसीमन की यह कवायद सीटों की संख्या और उन सीटों की पहचान करने तक ही सीमित होगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी हैं, और यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के परस्पर वितरण को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए, हम बस यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह संवैधानिक विधेयक क्या करने का प्रस्ताव कर रहा है, और यह प्रावधान है कि इस प्रस्तावित कानून के शुरू होने से 15 साल की अवधि के बाद सीटों का आरक्षण बंद हो जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीटों का यह आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि लोकसभा या किसी विशेष राज्य की विधान सभा या दिल्ली की विधान सभा भंग न हो जाए।

विधेयक को पारित कराने के लिए चार गंभीर प्रयास

क्या यह पहली बार है जब हम महिलाओं के लिए सीटों के इस आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस विधेयक को पारित कराने के लिए वास्तव में चार गंभीर प्रयास किए गए हैं। पहला प्रयास 1996 में 12 सितंबर को ग्यारहवीं लोकसभा में हुआ था जहां श्री एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। वह विधेयक जो लाया गया था, उसे श्रीमती गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति को भेजा गया, जिसने तुरंत काम शुरू कर दिया और तीन महीने के भीतर; 9 दिसंबर, 1996 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और यह विधेयक लगभग एक साल तक वहीं पड़ा रहा, लेकिन 4 दिसंबर, 1997 को ग्यारहवीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया।

क्या यह पहली बार है जब हम महिलाओं के लिए सीटों के इस आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस विधेयक को पारित कराने के लिए वास्तव में चार गंभीर प्रयास किए गए हैं

दूसरा प्रयास 14 दिसम्बर 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बारहवीं लोकसभा में किया गया। इसमें बिल लगभग वैसा ही था जैसे पहले पेश किया गया था लेकिन 15 साल की अवधि के लिए लाया गया था। 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल भी

समाप्त हो गया।

तीसरा प्रयास पुनः 23 दिसम्बर, 1999 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया; वह तेरहवीं लोकसभा में था और तब विधेयक आगे नहीं बढ़ सका था क्योंकि बिल पर कोई आम सहमति नहीं बना सकी थी। 6 फरवरी 2004 को तेरहवीं लोकसभा के भंग होने पर यह भी समाप्त हो गया।

भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान

मैं आपको सत्यकाम की मां का उदाहरण देना चाहती हूं। उनके नाम पर एक उपनिषद का नाम दिया गया है! वह एक चमकता सितारा था। लेकिन जब वह अपने गुरु की तलाश में गया तो गुरु ने उससे पूछा, 'ठीक है, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता कौन हैं? पहले मुझे अपने पिता का नाम बताओ?' वह अपने पिता का नाम नहीं जानता था। वह अपनी मां ज्वाला के पास गया और उनसे पूछा, 'मां, कृपया मुझे बताओ कि मेरे पिता कौन हैं। मुझे अपने गुरु को बताना है, नहीं तो वह मुझे स्वीकार नहीं करेंगे!' मां ने उससे यह कहने का साहस किया, 'मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन हैं, जाओ अपने गुरु को कह दो!' लड़का, अपनी पूरी गंभीरता से, गुरु के पास वापस गया और कहा, 'माफ करें, मेरी मां ने यह जवाब दिया है!' गुरु स्थिति को समझ गए और उसकी ईमानदारी के लिए तुरंत उन्हें स्वीकार कर लेते हैं।

> दूसरा प्रयास 14 दिसम्बर 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बारहवीं लोकसभा में किया गया। इसमें बिल लगभग वैसा ही था जैसे पहले पेश किया गया था लेकिन 15 साल की अवधि के लिए लाया गया था

यही वह सभ्यता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो एक विशेष समूह या दूसरे विशेष समूह की महिलाओं के साथ अलग व्यवहार करती हो। हमने सभी महिलाओं के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किया है। जिस युग में हम आज हैं उस युग में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन वह सत्यकाम और ज्वाला है। ज्वाला, वह मां, जो अपने लड़के से कह सकती थी कि गर्व से कहो कि तुम अपनी मां का नाम जानते हो, लेकिन मां,

पिता को नहीं जानती, और गुरु को कोई आपत्ति नहीं थी!

सर, इसी तरह, जब आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र से विवाद हुआ था। जब बहस चल रही थी तो वहां जज कौन थे? एक महिला, उभय भारती, मंडन मिश्र की पत्नी। यदि महिलाओं के साथ अलग ढंग से व्यवहार करने में कुछ झिझक होती, तो क्या बहस कर रहे दो लोगों के बीच उसे न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया जा सकता था? उन्होंने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया। उसके पास छात्रवृत्ति थी; यह तो हुई एक बात। लेकिन उन दोनों के बीच निर्णय करने के लिए एक महिला को स्वीकार करना कि विजेता कौन होगा, यह भी दर्शाता है कि भारत में पुरुष, चाहे विद्वान हों या अन्यथा, महिला के बारे में कोई गलत विचार नहीं रखते थे।

उभय भारती का उदाहरण हमें यह बताता है। निस्संदेह ऐसी 22 महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे वेदों और उपनिषदों में बहुत समृद्ध योगदान दिया। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं— गार्गी और लोपामुद्रा सबसे अलग हैं।

जब आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र से विवाद हुआ था। जब बहस चल रही थी तो वहां जज कौन थे? एक महिला, उभय भारती, मंडन मिश्रा की पत्नी

इसी तरह, मैंने आज सुबह सदस्यों को दक्षिण के प्रख्यात सेनानियों और योद्धाओं को याद करते हुए भी सुना। मैं अव्वई का भी नाम लूंगी, जिन्होंने महान, सरल दो-पंक्ति सूत्र दिए, जो हमेशा हम सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। कराईक्कल अम्मैय्यर एक महान भक्ति संत थी। उन्हें नयनार के रूप में माना जाता है।

तो, भारत में, महिलाओं की साहित्य में भूमिका रही है, कई अलग-अलग स्थितियों में भूमिका रही है। महिला योद्धाओं के बारे में, रानी अब्बक्का, किट्टूरू चेन्नम्मा, वेलु नाचियार, रानी गांडिलु, लक्ष्मी सहगल और निश्चित रूप से, झांसी की रानी, ये सभी वहां हैं। मेरे पास बस एक सूची है। विज्ञान में भी उनका कौशल ऐसा ही है। ई.के. जानकी अम्मल भारत के शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थीं। असीमा चटर्जी, आनंदीबेन जोशी, अन्ना मणि और दर्शन रंगनाथन सभी विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिलाएं थीं। इसलिए, हमारी संस्कृति में

महिलाओं को वह सब करने की अनुमति दी गई है जो उनकी आकांक्षाएं उन्हें करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमने इसका सम्मान किया है।

भाजपा, महिला आरक्षण के लिए हमेशा समर्थन में

बेशक, जैसा कि हिंदी में कहते हैं, विकृतियां सिस्टम में आ गई हैं। उसे हमें साफ करना होगा और प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूं कि जिस पार्टी का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, भाजपा, महिला आरक्षण के लिए हमेशा समर्थन में रही है। भाजपा ने 1994 में वडोदरा में अपना राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं। यदि वह 1994 में था, तो 1998 में, भाजपा ने हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लोकसभा में इसे पेश करके महिला आरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका मैंने अभी कुछ समय पहले उल्लेख किया था।

भाजपा, महिला आरक्षण के लिए हमेशा समर्थन में रही है। भाजपा ने 1994 में वडोदरा में अपना राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं

जुलाई 2003 में, भाजपा ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और वहां उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में से एक तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षण में परिवर्तित करने की मांग की गई। प्रगतिशील रूप से, उस राय को अब परिष्कृत किया गया है कि 2007 में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, भाजपा ने पार्टी के भीतर सभी संगठनात्मक पदों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी और 2008 में, भाजपा ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया। पूरी विनम्रता के साथ, अपनी पार्टी को धन्यवाद देते हुए, मैं महिलाओं के लिए इस आरक्षण के लाभार्थियों में से एक हूं कि मैं आज यहां हूं और मुझे वह अवसर देने के लिए मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देती हूं।

भाजपा लगातार महिला आरक्षण की समर्थक रही है। मुझे याद है, एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में वे दिन मेरे लिए शुरुआती दिन थे, लेकिन जब विधेयक जो 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया था, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में इसका जोरदार समर्थन किया और यह राज्यसभा में पारित हो गया— जब इसे लोकसभा में भेजा गया तो यह पारित नहीं हो सका।

भाजपा महिला आरक्षण के समर्थन में रही है और आज सुबह मैंने कुछ माननीयों को सुना। सदस्यों ने कुछ बहुत ही मनोरम क्षणों का जिक्र किया जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने संसद भवन के बाहर इंतजार किया था, माननीय श्रीमती बृंदा करात का स्वागत किया था। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और दोनों ने इस खुशी में एक-दूसरे को गले लगाया कि राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया है और अब लोकसभा की बारी है।

2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के घोषणापत्र में खुलेआम कहा गया था कि भाजपा संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी 33 फीसदी आरक्षण लाने के पक्ष में है

2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के घोषणापत्र में स्पष्ट कहा गया था कि भाजपा संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी 33 फीसदी आरक्षण लाने के पक्ष में है। 2019 के घोषणापत्र में भी ऐसा ही हुआ। तो, जैसे अनुच्छेद 370 हमेशा भाजपा के घोषणापत्र में रहा है, वैसे ही महिला आरक्षण भी है, चाहे वह 2014 में हो या अब 2019 में। मैंने आज सुबह कुछ सदस्यों को यह कहते हुए भी सुना कि 'आप अनुच्छेद 370 पर ध्यान दे रहे थे, आप ध्यान दे रहे थे' तीन तलाक पर, लेकिन आपने ये महिला आरक्षण नहीं किया!' इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सर, अनुच्छेद 370 महिलाओं के लिए भी बहुत असमानता की बात थी; अन्य बातों के अलावा, अनुच्छेद 370 की वजह से महिलाओं को जम्मू-कश्मीर में संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी।

मैंने सुना कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने आज सुबह तीन तलाक के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तीन तलाक ए देश, बी देश, सी देश में नहीं है, ये सभी मुस्लिम बहुल देश हैं, लेकिन भारत में इसे अदालतों के चक्कर में पड़ने और फिर राजनीतिक रूप से लोगों को समझाने और फिर

लाने में पूरी प्रक्रिया लग गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदीजी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए ऐसा करना है, तो हम करेंगे। नड्डाजी ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया हम तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन महिलाओं से संबंधित मामलों में महिलाओं के अधिकारों को बहाल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री के लिए आस्था का विषय है। इसलिए हमने हर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, चाहे वह अनुच्छेद 370 हो या चाहे वह तीन तलाक हो या अब महिला आरक्षण विधेयक। वैसे भी यह सब हमारे घोषणापत्र का हिस्सा है।

> मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री के लिए आस्था का विषय है

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए, आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मैं शीघ्र ही उनमें से कुछ को हरी झंडी दिखाऊंगी। उज्ज्वला, धुंआ मुक्त रसोई के लिए 9.59 करोड़ लोगों को मुफ्त कनेक्शन और 100 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी और 75 लाख से अधिक कनेक्शन। स्वच्छ भारत अभियान— महिलाओं को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना, उन्हें शौचालय उपलब्ध कराना, इस देश में 11.72 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना ने वास्तव में लिंग के बीच उचित संतुलन बहाल करने में मदद की है क्योंकि पूरे देश में लैंगिक असमानता व्याप्त है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है।

2014 से 2019 के बीच हम क्या कर रहे थे? ये वो चीजें हैं जो हम कर रहे थे। इसलिए, हम एक पल के लिए भी महिला सशक्तीकरण को नहीं भूले। महोदय, हर घर नल से जल के तहत 9.82 करोड़ नए कनेक्शन प्रदान किए

गए हैं।

फिर, कई सदस्यों ने सवाल उठाया, 'इस विधेयक के लिए विशेष सत्र क्यों?' सर, हम 'नए भारत' के लिए संसद के एक नए परिसर, नए भवन में आए हैं। हम चाहेंगे कि यह संसद सबसे अच्छे विधेयकों में से एक पर विचार करे और हम सभी इस पर सहमत हों। और, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है। मैं अपने दिल की गहराई से, सभी दलों द्वारा दिए गए विचारों के लिए धन्यवाद देती हूं, भले ही उनकी थोड़ी सी आपत्तियां हों और उनके मन में सवाल हों। मेरे ख्याल से इस नई इमारत में यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है और यह देश के लिए अगले 100 वर्षों के लिए बनाई गई इमारत है। भले ही परिसीमन में नए सदस्य आने वाले हों, लेकिन उन्हें समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह है।

कुछ सदस्यों को यह कहते हुए सुनना थोड़ा निराशाजनक था, कि यह बिल एक जुमला है। बहुत से लोग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं। जिसने भी यह कहा— मैं, विशेष रूप से, सदस्यों का नाम नहीं ले रही— यह कोई जुमला नहीं है। ये बिल कोई जुमला नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप सभी कृपया उन बिंदुओं पर ध्यान दें जो मैं कहने का प्रयास कर रही हूं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है। मैं अपने दिल की गहराई से, सभी दलों द्वारा दिए गए विचारों के लिए धन्यवाद देती हूं, भले ही उनकी थोड़ी सी आपत्तियां हों और उनके मन में सवाल हों

बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि ऐसा क्यों है कि हम ओबीसी आरक्षण उस तरह नहीं कर पाएंगे जैसे हम एससी या एसटी आरक्षण करते हैं। संविधान में ओबीसी के लिए चुनावी आरक्षण का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, जैसा कि एससी और एसटी के लिए किया गया है। इसीलिए यह विधेयक, जो 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए संशोधन लाता है, सामान्य वर्ग से संबंधित है, एससी वर्ग और एसटी वर्ग से संबंधित है, जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए, हमारे मन में कोई अस्पष्टता नहीं है।

❑❑❑

महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है: अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल का 19 सितंबर, 2023 को संविधान के 128 संशोधन विधेयक के रूप मे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लोकसभा में पेश करने के दौरान वक्तव्य

मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में सदन के समक्ष कुछ जानकारियां रखना चाहता हूं। यह विधेयक, संविधान में संशोधन करने वाला एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है। यह विधेयक न केवल महिलाओं को न्याय दिलाता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाता है। अमृतकाल में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

> यह विधेयक न केवल महिलाओं को न्याय दिलाता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाता है। अमृतकाल में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है

जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिन्होंने 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृति दी, वे हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। उनके उत्कृष्ट भाषण में, जो 26 जनवरी 1950 को हुआ, उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण सोच प्रस्तुत की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि हम सभी एक-समान हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार को सक्रिय रूप से काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें दुनियाभर में फैली असमानता के खिलाफ मुठभेड़ करना होगा, ताकि हम सभी एक समृद्ध और समान समाज की दिशा में बढ़ सकें। उनके शब्दों में छुपी एक चेतावनी है कि 26 जनवरी 1950 को नए भारतीय संविधान के प्रभाव से राजनीतिक समानता होगी, लेकिन हमें आने वाले समय में असमानता को पूरी तरह से दूर करने के लिए काम करना होगा।

"राजनीतिक जीवन में, हम समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में, हमें एकता और समृद्धि की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हमें एक भाषा और एक विचारधारा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन इस कारण से बाधित है कि हम एकरूपता और समान समृद्धि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता की ओर बढ़ेंगे?"

"इसके बाद जो भी सरकारें आईं, उन्होंने बाबा साहब की इस चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई।" "लेकिन 2014 में, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, और तब से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें कई प्रभावी उपाय शामिल हैं। इन योजनाओं में महिला सशक्तीकरण की योजनाएं भी शामिल हैं, जो समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। शौचालय निर्माण योजना के साथ-साथ महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जो संविधान की भावना के अनुरूप समृद्धि की प्रेरणा देते हैं।"

2014 में, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, और तब से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं

2014 के बाद महिला–केंद्रित योजनाओं की संख्या में वृद्धि

महिलाएं समानता का सपना देखती हैं। वे एक घर में बिजली जलाने का अधिकार, अंधेरे से मुक्ति, एक घर में शौचालय, गरिमा और सम्मान का अधिकार चाहती हैं। समानता लाने के मामले में, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव 2014 के बाद हुआ है, जब महिला-केंद्रित योजनाओं की संख्या

में वृद्धि हुई, बजट बढ़ाया गया और GDP भी बढ़ी।"

"मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख है और इसमें अवसर और समानता का भी उल्लेख है। आज, इस दिशा में महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अवसर बढ़ेंगे और समानता बढ़ेगी। महिलाएं अब अधिकारों का हिस्सा बनेंगी, इसके लिए चार कदम जरूरी हैं, जिन्हें करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसके चार महत्वपूर्ण तर्क हैं, जिन्हें हम समझ रहे हैं और जिन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी जब चर्चा होगी, विषय आएगा और बाद में जब बोलने का अवसर मिलेगा, तो मैं इसका उत्तर दूंगा।"

पहला संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 239 में संशोधन करते हुए 239A जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सकारात्मक रूप से अद्यतित किया जाएगा, जिससे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। यह विधायक में क्लॉज 2 में किया जा रहा पहला संशोधन है।

समानता लाने के मामले में, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव 2014 के बाद हुआ है, जब महिला-केंद्रित योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई, बजट बढ़ाया गया और GDP भी बढ़ी

दूसरा संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 330 में संशोधन करते हुए 330A धारा जोड़ी जा रही है, जिसके अनुसार लोक सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा। इसे संविधान के तीसरे अनुच्छेद में जोड़ा जा रहा है।

तीसरा संशोधन: विधायक में संशोधन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 332 के बाद एक नया अनुच्छेद 332A शामिल किया जाएगा, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए विशेष प्रतिनिधित्व नियत किया जाएगा। इसके अंतर्गत, 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया जाएगा, जो महिलाओं को स्थानीय निकायों में समाहित करने के लिए होगा।

चौथा संशोधन: विधेयक 5 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 334 के बाद एक नया अनुच्छेद 334ए जोड़ा जा रहा है। आज सदन में महिलाओं के

आरक्षण पर चर्चा हो रही है। यह आरक्षण 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा। यदि 15 साल बाद इसे बढ़ाया जाना है, तो यह संसद द्वारा तय किया जाएगा। संसद को ही इसका अधिकार होगा। जैसे-जैसे सीटों की संख्या बढ़ती जाएगी, 33 प्रतिशत के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा।

बड़ौदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी बड़ौदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय पार्टी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस निर्णय ने अन्य राजनीतिक दलों पर भी दबाव डाला और महिला आरक्षण के मुद्दे पर बहस शुरू हुई। भाजपा ने लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए प्रयास किए। अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इस दिशा में कई प्रयास किए और सभी दलों की सर्वसम्मति बनाने के लिए बैठकें भी बुलाई गईं।

> भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी बड़ौदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया

विधेयक की पृष्ठभूमि

महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में ग्यारहवीं लोकसभा के दौरान एच.डी. देवेगौड़ा जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया था। विधेयक को संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने रिपोर्ट सौंपी।

हालांकि, रिपोर्ट सौंपने के बाद लोकसभा भंग हो गई और विधेयक समाप्त हो गया। इसके बाद बारहवीं (1998) और तेरहवीं (1999) लोकसभा में भी विधेयक पेश किया गया, लेकिन यह अभी भी संसद में लंबित है।

महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी दलों को इस विधेयक को पारित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

मैं इस बिल की पृष्ठभूमि इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बाद में यूपीए-1 के समय 17 दिसंबर, 2009 में कमेटी की रिपोर्ट आई। मनमोहन सिंह जी के समय बिल पेश किया गया। इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च, 2010 को यह बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। इस बिल पर दो दिन चर्चा हुई और चर्चा के दौरान इस बिल का काफी विरोध भी हुआ। कुछ सांसदों ने इस बिल की कापियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः यह बिल राज्यसभा से पास हुआ। इसमें भाजपा का समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को खुले मन से समर्थन किया था।

राज्यसभा में चर्चा और बिल पास होने के बाद, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में 'कॉमनयुनिकेट' हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसे पढ़ दिया तो यह लोकसभा की 'प्रॉपर्टी' हो गई। हम उस समय विपक्ष में थे। उसके बाद हमने कई बार सरकार से अनुरोध किया कि इस बिल को लोकसभा में लाओ। लेकिन इनको किसी का 'सम्मान' नहीं था और इस बिल के बारे में चिंता भी थी। इसलिए यह बिल लैप्स हो गया। 18 मई, 2014 को लोकसभा भंग हो गई तो यह बिल भी लैप्स हो गया। कल ये अनर्गल से बातें कर रहे थे कि संविधान में साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 107 के सब-अनुच्छेद-5 में प्रावधान है।

> महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है

'यदि कोई लोकसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा।' यह एक संवैधानिक प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आपके माध्यम से अगर इसमें सर्वसम्मति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। सदस्यों के जो सुझाव आए हैं, हम उनको ध्यान में लाएंगे। मैं एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण

समाप्त करना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में नारी के बारे में लिखा है—

तुम सृष्टि की आधारशिला,
तुम से मानव को प्राण मिला,
संगीत तू ही है कण-कण में,
तुम ने जीवन में रंग भरा।
तुम मां भी हो और बेटी भी,
तुम बहन और अर्धांगिनी,
तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी,
तुम से ही जीवन पूर्ण हुआ।

यह बिल पास कर, जिससे प्रतिनिधित्व वाला मामला पूरा होगा। मैं चाहता हूं कि चर्चा प्रारंभ हो और सर्वसम्मति से बिल को पास करने का प्रयास किया जाए।

❑❑❑

श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत जिसका हिस्सा है, उस मातृशक्ति को सच्चे अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ ही महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा।

20 सितंबर, 2023

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण! 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मतदान किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में ख़ुशी देने वाला है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह महज एक कानून नहीं है; यह उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया है एवं भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। आज जश्न के इस माहौल में हमें अपने देश की सभी महिलाओं की शक्ति, साहस और अदम्य भावना की याद आती है। यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज़ को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए।

21 सितंबर, 2023

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002